दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
16/12/24	वकील उपस्थित अनु0 वकील वादी एवं वादी स्वयं को न्यायालय समय के दौरान बार-बार आवाज लगवाई, उसके बावजूद भी न तो वादी और ना ही उसके अधिवक्ता उपस्थित हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी एवं उसके अधिवक्ता प्रकरण को लेकर सजग नहीं है। अतः प्रकरण अग्रिम पैरवी एवं अग्रिम हाजिरी में खारिज किया जाता है। पश्चात् फैसल सुधार हो और नम्बर के बाद होकर दाखिल दफ्तर हो।	

स [illegible] दण्डाधिकारी
(का[illegible]पुर)